हवाई पट्टियों का किराए पर उपयोग हेतु अनुबंध की शर्तें

—:: अनुबंध की प्रस्तावना ::—

यह अनुबंध आज दिनांक.............................माह............. ....2007 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग, भोपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''राज्य शासन'' कहा जायेगा और जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जहां कि संदर्भ से वैसा अनुमत हो, उनके पद के उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिती आएंगे) प्रथम पक्ष और **(मेसर्स** ....) (यहां पंजीयन/कंपनी इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे लिखे जाएं) जिन्हें इसके पश्चात् **(मेसर्स** ....) कहा जायेगा और जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जहां कि संदर्भ में वैसा अनुमत हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधि तथा समुदेशिती आयेंगे) द्वितीय पक्ष, के बीच किया जाता है ।

—:: प्रशिक्षण उड़ान संचालित करने हेतु अनुबंध ::—

जैसा कि राज्य शासन की अभिरूचि प्रदर्शन विज्ञप्ति दिनांक .... द्वारा प्रदेश की हवाई पट्टियों पर उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु निविदा अभिरूचियॉ आमंत्रित की गई।

एवं

जैसा कि **(मेसर्स** ....) द्वारा राज्य शासन से .... स्थित हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण उड़ान संचालित करने हेतु हवाई पट्टी के उपयोग के संबंध में अभिरूचि प्रदर्शित की गई है, एवं जैसा कि राज्य शासन उन्हें यह अनुमति आदेश कमांक .... दिनांक ....द्वारा देने हेतु सहमत है ।

यह कि राज्य शासन **(मेसर्स** ....)को .... स्थित हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण उड़ान संचालित करने हेतु हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर .... वर्ष (केवल .... वर्ष) के लिये प्रदान करता है :—

01. यह कि **(मेसर्स** ....) द्वारा उड़ान संचालन हेतु महानिदेशक नागर विमानन भारत सरकार, नई दिल्ली की आवश्यक अनुमति प्राप्त की जावेगी तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया जावेगा ।
02. यह कि **(मेसर्स** ....) संस्था म0प्र0 में पंजीबद्ध हो तथा उसका कार्यालय म0प्र0 में स्थित हो एवं संस्था महानिदेशक नागर विमानन से संबद्ध हो।
03. यह कि हवाई पट्टियों की सुरक्षा पर व्यय **(मेसर्स** ....) द्वारा किया जावेगा एवं सुरक्षा पर कोई भी व्यय राज्य शासन द्वारा वहन

नहीं किया जावेगा एवं हवाई पट्टियों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी **(मेसर्स** ....) की होगी। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा / निरीक्षण कलेक्टर द्वारा समय–समय पर की जावेगी तथा कलेक्टर द्वारा दिये गये सुझावों को **(मेसर्स** ....) द्वारा मान्य किया जावेगा ।

04. यह कि **(मेसर्स** ....) आवश्यक संचार के लिये व्ही.एच.एफ. उपकरण के क्रय तथा संधारण का व्यय स्वयं वहन करेगी ।

05. यह कि राज्य शासन हवाई पट्टियों पर अन्य किसी भी संस्था को प्रशिक्षण उड़ाने संचालित करने की अनुमति जारी कर सकेगा ।

06. यह कि राज्य शासन के विमान/हैलीकाप्टर की उड़ाने निर्बाध रूप से .... स्थित हवाई पट्टियों पर संचालित होंगी और **(मेसर्स** ....)द्वारा स्थापित/संधारित व्ही.एच.एफ. उपकरण का निःशुल्क उपयोग किया जा सकेगा।

07. यह कि **(मेसर्स** ....)न्यूनतम रू. 2.50 करोड़ की परिसम्पत्ति होने के संतोषजनक दस्तावेज राज्य शासन, संचालक विमानन एवं संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा ।

08. यह कि .... स्थित हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण उड़ानें संचालित करने हेतु हवाई पट्टी के उपयोग के भाग प्रतिफल में **(मेसर्स** ....) प्रत्येक वर्ष रूपये .... (रू. ....मात्र) लायसेंस शुल्क शासकीय कोष में संचालक विमानन को देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेगा । **(मेसर्स** ....) इस राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम के रूप में एक मुश्त संचालक विमानन को अनुबंध पूर्व जमा करेगा तथा शेष राशि संचालक, विमानन के साथ अनुबंध संपादित होने के तुरंत पश्चात् शासकीय कोष में जमा की जावेगी ।

09. यह कि हवाई पट्टी के उपयोग हेतु उक्त निर्धारित शुल्क में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि स्वमेव हो जायेगी, जो **(मेसर्स** ....)द्वारा भुगतान की जावेगी जिसके लिये पृथक से कोई अनुबंध/आदेश जारी नहीं होगा तथा राज्य शासन, समय–समय पर इस शुल्क में और वृद्धि कर सकेगा ।

10. यह कि हवाई पट्टी के संधारण कार्य का पूर्ण दायित्व **(मेसर्स** ....) का होगा, और इस हेतु **(मेसर्स** ....) द्वारा कार्यपालन यंत्री (भ./स.) लोक निर्माण विभाग के पास कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार प्राक्कलन अनुसार अग्रिम राशि जमा करेगा। कार्यपालन यंत्री (भ./स)

लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारण कार्य कलेक्टर के नियंत्रण एवं निर्देशन पर किया जावेगा।

11. यह कि **(मेसर्स** ....) को विमान/हैलीकाप्टर के संधारण की सुविधा स्वयं उपलब्ध करानी होगी ।

12. यह कि **(मेसर्स** ....) सम्पत्तियों के संबंध में अंतिम खाते, आडिट रिपोर्ट, चाटर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र, लाभ–हानि खाता एवं बैंलेस शीट आदि संचालक विमानन के समक्ष परिसंपत्तियों के आंकलन हेतु प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेंगी।

13. यह कि **(मेसर्स** ....) निर्धारित लायसेंस फीस (शुल्क) राज्य शासन को अदा करने के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी।

14. यह कि **(मेसर्स** ....) शासन द्वारा बनाये गये नियमों एवं मापदण्डों के अनुसार बी.ओ.टी. के आधार पर अपने स्वयं की लागत एवं खर्चों से महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार के मापदण्डों का पूर्णतः पालन करते हुये हैंगर, डिस्परसल, टैक्सी ट्रेक, बाउण्ड्री वाल इत्यादि का निर्माण एवं विकास कार्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिला कलेक्टर के नियंत्रण एवं निर्देशन में करायेगी जिस पर राज्य शासन का पूर्ण स्वामित्व होगा । **(मेसर्स** ....) को इसका कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा, न ही उनके द्वारा इस सम्पत्ति के विरूद्ध कोई ऋण इत्यादि प्राप्त किया जा सकेगा, और न ही उनके द्वारा इसे विक्रय/बंधक, गिरवी आदि रखा जा सकेगा, न ही वे किसी अन्य व्यक्ति/कम्पनी/संस्था को इसके उपयोग या स्थानांतरित करने की अनुमति दे सकेंगे । आवश्यक निर्माण एवं विकास कार्य तथा हवाई पट्टी के जिस भाग का उपयोग **(मेसर्स** ....) द्वारा किया जाना है, उसकी अनुमति कलेक्टर की अनुशंसा पर संचालक विमानन द्वारा प्रदान की जावेगी, जो वे संचालक विमानन से अनुबंध पूर्व प्राप्त करेंगे।

15. यह कि **(मेसर्स** ....) द्वारा विमान की सुरक्षा, पर्यावरण, अग्नि, चिकित्सा आदि के संबंध में बनाए गए बैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जावेगा एवं उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अन्य संस्था द्वारा हवाई पट्टी का उपयोग किये जाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो ।

16. यह कि **(मेसर्स** ....) द्वारा संचालित गतिविधियों, संधारण, निर्माण कार्यों आदि का निरीक्षण महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार, राज्य शासन, संचालक विमानन तथा संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा ।

17. यह कि राज्य शासन किसी भी समय यह अनुमति दो माह की पूर्व सूचना देकर निरस्त कर सकेगा, अथवा इसमें वृद्धि/नवीनीकरण कर सकेगा । इस संबंध में कोई न्यायालयीन अथवा अन्य वैधानिक नियम/पाबंदियां लागू नहीं होगी ।

18. यह कि रात्रिकालीन पार्किंग व्यवस्था के लिये पार्किंग–वे का व्यय (**मेसर्स** ....) को वहन करना होगा ताकि मुख्य हवाई पट्टियॉ संचालन हेतु मुक्त रहें ।

19. यह कि रात्रि में विमान के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर से समन्वय कर भुगतान आधारित पुलिस की व्यवस्था (**मेसर्स** ....) को स्वयं करना होगी ।

20. यह कि राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त निर्धारित शर्तों में समय–समय पर परिवर्तन, संशोधन एवं नवीनीकरण कर सकेगा साथ ही राज्य शासन को यह भी अधिकार है कि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का पालन (**मेसर्स** ....) द्वारा न किये जाने की स्थिति में अथवा राज्य शासन को आवश्यकता होने पर यह अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी । जिसके लिये (**मेसर्स** ....) सहमत हैं।

21. **मध्यस्थता––** इस अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन या अपालन की स्थिति में पक्षकारों के मध्य उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में, विवाद का निराकरण माध्यस्थम और सुलह अधिनियम–1996 (1996 का 26) के प्रावधानों के अनुसार होगा ।

22. यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र भोपाल होगा। यह अनुबंध पत्र आज दिनांक........................को उभय पक्षों के बीच भोपाल, मध्यप्रदेश में निष्पादित हुआ ।

अतः हम पक्षकारों ने उक्त अनुबंध पर साक्षियों के समक्ष बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर कर दिये हैं जो सनद रहे एवं वक्त पर काम आवे ।

गवाहः– 1.

2.

मेसर्स ....,
....,
....

गवाहः– 1.

2.

संचालक,
विमानन संचालनालय,
म0प्र0भोपाल